



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 22-04-21

साइबर सैल, गाजियाबाद द्वारा quikr.com पर नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 01 लैपटाप, 01 आधार कार्ड व अन्य बरामद ।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी साइबर सैल के कुशल निर्देशन में साइबर सैल जनपद-गाजियाबाद द्वारा दिनांक 22/04/2021 को **quikr.com** पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का फर्दाफाश करते हुये 02 शातिर अभियुक्तगणों 1 विकास कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी म0न0 डी0 1/317 गली 14 अशोक नगर शाहदरा दिल्ली 93 2 पारस धामा पुत्र मनोज धामा निवासी निलोहा मवाना मेरठ को गिरफ्तार किया गया है । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना-कोतवाली पर मु0अ0सं0-261/2021 धारा 420/467/468/406/471/34 भा0द0वि0 पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगणों फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर तथा बैंक खाता खुलवाकर quikr.com से डाटा उठाकर बेरोजगार लोगों से अपने आपको quikr.com का अधिकारी बताकर जरूरतमद लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ले लेते हैं। तथा लैपटाप से फर्जी जॉब लैटर तैयार कर भेज कर बड़ी धनराशि उग लेते हैं। अभियुक्त विकास कुमार उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-1779/2018 धारा 420/467/468/471 भादवि एंव 66सी/66डी आईटी एक्ट थाना-सैक्टर 20 नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर पर भी पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. विकास कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी म0न0 डी0 1/317 गली 14 अशोक नगर शाहदरा दिल्ली 93
2. पारस धामा पुत्र मनोज धामा निवासी निलोहा मवाना मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

- (1) 10-अदद मोबाइल फोन
- (2) 05-अदद डाटा पेपर शीट,
- (3) 01-अदद लैपटॉप,
- (4) 01-अदद एटीएम,
- (5) 01-अदद आधार कार्ड
- (6) 01-अदद चैक बुक
- (7) 06-अदद रजिस्टर हिसाब
- (8) 02-अदद एचडीएफसी बैंक के गारंटी लेटर की छायाप्रति



दिनांक 22.04.21 को वादी मुकदमा को छेडछाड के मुकदमे मे फसाने की धमकी व मारपीट तथा गाली गलौच कर नकली पिस्टल दिखाकर 15 लाख रुपये की मांग करने वाले अभियुक्तगण का जनता के सहयोग से मौके से गिरफ्तार कर 02 डमी पिस्टल बरामद ।

दिनांक: 22.04.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद मे अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदया के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौषिक की टीम द्वारा दिनांक 22.04.2021 को समय करीव 19.00 बजे जनता व वादी मुकदमा के सहयोग से छेडछाड के मुकदमे मे फसाने की धमकी देना व मारपीट व गाली गलौच करना व नकली पिस्टल दिखाकर 15 लाख रुपये की मांग करने वालो मौके से डमी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु व अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु अवैध तरीके से सम्पन्न व्यक्तियों को किसी किसी बहाने से अकेले मे मिलकर अपने जाल मे फसा लेते है तथा झूठे छेडखानी व बलात्कार के मुकदमे मे फसाने का भय दिखाकर तथा पिस्टल से डराकर रुपये की मांग करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- वरुण पुत्र देशराज नि0-जीते का मकान चामुण्डा मंदिर रामप्रसाद वाली गली थाना खोडा गाजियाबाद मूल नि0-गांव कमालपुर थाना मुरसान जिला हाथरस उम्र ,वर्ष 20
- 2- रोहित कुमार पुत्र वीरपाल सिंह नि0-फ्लैट न0-गंगोत्री अपार्टमेंट कोशाम्बी थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल नि0 138-ग्राम रतरोई थाना गंगीरी जिला अलीगढ उम्र वर्ष 22

- 3- निष्ठा पत्नि राजेश चौधरी नि०-ई-3/1207 सहीद नगर थाना सदर जिला आगरा उम्र ,वर्ष 22
- 4- शालू खन्ना पुत्री भुवनेश राय खन्ना नि०-म०न०-वर्ष 38 जस्सीपुरा नियर दुधेश्वरनाथ मंदिर थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 106

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 615/21 धारा 323/504/384 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० विष्णु कौशिक
2. उ०नि० रविन्द्र सिंह
3. हे०का० सत्तार खान
4. हे०का० अवनीश कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद (डमी) पिस्टल